शुद्धिपत्र

संख्या-174/2026/आई/1270380/23-1-26-23-1002(002)/297/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: 18 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से मेरठ मण्डल के अन्तर्गत जनपद मेरठ के 02 कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3054 विशेष मरम्मत मद में विभिन्न पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के क्रम में शासनादेश संख्या-567/2025/आई/1141554/23-1-25/001-23-1002(002)/297/2025, दिनांक 13.11.2025 द्वारा अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 3054 के अन्तर्गत **मेरठ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 75 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 5760.22** लाख **की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 2015.93 लाख का आवंटन** प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश में अंकित तालिका के क्रमांक-14 एवं 45 पर अंकित कार्यों (क्रमांक-14-झब्बापुरी से कुण्डा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य, क्रमांक-45 पर अंकित अगवानपुर से झब्बापुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य) हेतु स्तम्भ-3 में अंकित खण्ड/जनपद के नाम में प्रा0खं0 मेरठ के स्थान पर क्रमश: प्रा0खं0 बुलन्दशहर एवं प्रा0खं0 बागपत अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त स्वीकृत शासनादेश संख्या-567/2025/आई/1141554/23-1-25/001-23-1002(002)/297/2025, दिनांक 13.11.2025 में अंकित तालिका के क्रमांक-14 एवं 45 पर अंकित कार्यों (क्रमांक-14-झब्बापुरी से कुण्डा मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य, क्रमांक-45 पर अंकित अगवानपुर से झब्बापुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य) हेतु स्तम्भ-3 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अंकित खण्ड/जनपद के नाम में क्रमश: प्रा0खं0 बुलन्दशहर एवं प्रा0खं0 बागपत **के स्थान** प्रा0खं0 मेरठ पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 13.11.2025 की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-174/2026/आई/1270380(1)/23-1-26-23-1002(002)/297/2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।